सं0–2708/उन्तीस/04/2(53पे0)/2004

प्रेषक,

कुँवर सिंह,
अपर सचिव,
उत्तरांचल शासन ।

सेवा में,

1–प्रबन्ध निदेशक,
उत्तरांचल पेयजल संसाधन एवं निर्माण निगम,
देहरादून।
2– मुख्य महाप्रबन्धक
उत्तरांचल जल संस्थान
देहरादून

पेयजल अनुभाग– देहरादूनः दिनांकः13 दिसम्बर 2004

विषयः – ग्रामीण पेयजल राज्य सैक्टर के अन्तर्गत विभिन्न पेयजल योजनाओं हेतु वर्ष 2004–05 में वित्तीय स्वीकृति ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक प्रबन्ध निदेशक उत्तरांचल पेयजल निगम कार्यालय के पत्रांक–445/अप्रे0नैनीताल/ दिनांक 18.09.2004, एंव मुख्य महाप्रबन्धक उत्तरांचल जलसस्थान कार्यालय के पत्र संख्या 2435/ दिनांक 11.10..2004 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2004–05 में ग्रामीण पेयजल राज्य सैक्टर के अंतर्गत संलग्नक में उल्लिखित विवरणानुसार जनपद नैनीताल के ग्रामीण पेयजल योजनाओ के सुदृढीकरण एवं मरम्मत हेतु उत्तरांचल पेयजल निगम द्वारा प्रस्तावित योजनायें जिनकी कुल अनु0लागत रू0203. 94 लाख है तथा उत्तरांचल जलसंस्थान द्वारा प्रस्तावित योजनायें जिनकी अनु0 लागत रू0 206. 95 लाख है ,पर प्रशासकीय एंव वित्तीय अनुमोदन प्रदान करते हुए चालू वित्तीय वर्ष मे उत्तरांचल पेयजल निगम को रू0 100.00 लाख (रू0 एक करोड़ मात्र) एंव उत्तरांचल जलसंस्थान को रू0 100.00 लाख (रू0 एक करोड़ मात्र) अर्थात कुल रू0 200.00 लाख (रू0 दो करोड मात्र) की धनराशि जिसमे से रू0 118.31 लाख (रू0 एक करोड़ अठारह लाख इकत्तीस हजार मात्र) संगत मद से एंव रू0 81.69 लाख (रू0 इक्यासी लाख उन्हत्तर हजार मात्र) की धनराशि संलग्न बी0एम0–15 के विवरणानुसार बचतो के पुनर्विनियोजन के माध्यम से व्यय हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

2– स्वीकृत धनराशि मे से उत्तरांचल पेयजल निगमएंव उत्तरांचल जलसंस्थान को स्वीकृत धनराशि क्रमशः प्रबन्ध निदेशक, उत्तरांचल पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम देहरादून एंव मुख्य महाप्रबन्धक उत्तरांचल जलसस्थान के हस्ताक्षर एवं जिलाधिकारी, देहरादून के प्रतिहस्ताक्षरयुक्त बिल कोषागार देहरादून में प्रस्तुत करके इसी वित्तीय वर्ष में वास्तविक आवश्यकतानुसार किस्तो में ही आहरित की जायेगी।

क्रमशः..2

3– कार्य कराने से पूर्व समस्त कार्यों के विस्तृत आगणन एवं मानचित्र गठित कर सक्षम प्राधिकारी से प्राविधिक स्वीकृत प्राप्त करने के उपरान्त ही कार्य प्रारम्भ किये जायेंगें । एक मुश्त प्राविधान का विस्तृत आगणन गठित कर सक्षम अधिकारी से स्वीकृति प्राप्त करने के उपरान्त ही कार्य प्रारम्भ करें ।

4– सामग्री क्रय करने से पूर्व स्टोर परचेज नियमों का पालन आवश्यक है। जिन मदों का प्राविधान बाजार भाव से किया गया है, उनका क्रय नियमानुसार ही किया जायेगा ।

5– स्वीकृत धनराशि का व्यय उन्ही कार्यो पर किया जायेगा जिनके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही हैं ऐसे कार्यो पर धनराशि कदापि व्यय न की जाय जिनके सम्बन्ध में तकनीकी स्वीकृति नही है अथवा जो विवादग्रस्त हैं। व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल और फाइनैन्शियल हैण्डबुक नियमों तथा स्थायी आदेशों के अंतर्गत शासकीय अथवा सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृत की आवश्यकता हो, उनमें व्यय करने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय ।

6– प्रस्तावित कार्यो को यथासम्भव ग्रीष्मऋतु से पूर्व सम्पन्न कराना सुनिश्चित करते हुए कराये गये कार्यो की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति के मासिक/त्रैमासिक विवरण नियमित रूप से शासन को उपलब्ध कराया जाय।

7– कार्य की समयबद्वता एवं गुणवत्ता के लिए सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता/निमार्ण एजेन्सी पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगें।

8– कार्यो में सैंटेज/कन्टीजैन्सी व्यय वर्तमान में प्रचलित शासकीय दर 12.5 प्रतिशत के अनुसार ही नियमानुसार ही लिया जायेगा।

9– स्वीकृत की जा रही धनराशि का 31.03.2005 तक पूर्ण उपयोग सुनिश्चित कर लिया जायें अन्यथा की स्थिति में सक्षम अधिकारी के प्रति उत्तरदायित्व का निर्धारण किया जायेगा।यदि उक्त तिथि तक कोई धनराशि अवशेष रहती है, तो इसे शासन को समर्पित कर दिया जायेगा।

10– योजनाओ हेतु स्वीकृत की जा रही समस्त धनराशि का पूर्ण उपयोग कर उपयोगिता प्रमाणपत्र प्रस्तुत किए जाने के उपरान्त ही आगामी किश्त अवमुक्त की जायेगी।

11– कार्य इसी लागत में पूर्ण कर लिये जायेंगे और उक्त लागत में विलम्ब या अन्य कारणों से कोई पुनरीक्षण अनुमन्य नहीं होंगे।

12– उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2004–05 के अन्तर्गत अनुदान सं0–13 के लेखाशीर्षक "2215–जलपूर्ति तथा सफाई–01–जलपूर्ति–आयोजनागत–102–ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम– 03 –ग्रामीण पेयजल राज्य सैक्टर–00–20 सहायक अनुदान/अंशदान / राजसहायता" के नामें डाला जायेगा ।

13– यह आदेश वित्त विभाग की अशासकीय सं0– 1970/ वि0अनु0–3/2004 दिनांक 08 दिसम्बर ,2004 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है।

संलग्नक यथोक्त

भवदीय,

(कुँवर सिंह)
अपर सचिव

क्रमशः..3..

सं0 2708(1)/उन्तीस/04/2(53पे0)/2004, तद दिनांक

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1.महालेखाकार, उत्तरांचल देहरादून ।
2.वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून ।
3.मण्डलायुक्त कुमॉयू मण्डल,नैनीताल ।
4.जिलाधिकारी, देहरादून/ नैनीताल।
5.महाप्रबन्धक, उत्तरांचल जल संस्थान।(कुनायूँ)
6.सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता, उत्तरांचल पेयजल निगम/उत्तरांचल जलसंस्थान ।
7.वित्त अनुभाग–3/वित्त(बजट सैल)/नियोजन प्रकोष्ठ, उत्तरांचल।
8.निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री/मा0 अध्यक्ष विधानसभा, उत्तरांचल।
9.निदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क निदेशालय, देहरादून।
10.निदेशक, एन0आई0सी0 सचिवालय परिसर, देहरादून।

आज्ञा से,

(कुँवर सिंह)
अपर सचिव

उत्तरांचल पेयजलनिगम (धनराशि रू0 लाख में)

क्रमसं0	विकासखंड	योजना का नाम	अनु0लागत
1	बेतालघाट	बजेड़ी ग्राम समूह पे0यो0	16.40
2	–तदैव–	अमेल ग्राम समूह पे0यो0	20.19
3	–तदैव–	पाली ग्राम समूह पे0यो0	17.58
4	–तदैव–	खलाड़ जिनौली ग्रा0समूह पे0यो0	23.03
5	रामगढ़	ध्वेती टिकुरी पे0यो0	12.31
6	–तदैव–	तल्ली सिनौली पे0यो0	21.47
7	–तदैव–	सुयालबाडी ग्राम0समू0 पे0यो0	26.36
8	–तदैव–	तल्ला चौपडा स्रोत सुंदृढीकरण	07.61
9	बेतालघाट	उलगैर ग्रा0स0पे0यो0	12.49
10	–तदैव–	हलसौं कोरड़ ग्रा0स0पे0यो0	21.02
11	रामगढ़	दनकन्या सुनार कौला पे0यो0 (स्रोत सुदृढीकरण)	09.38
12	तदैव–	ध्वेती तलकुली पे0यो0(स्रोत सुदृढीकरण)	16.10
		योग:	203.94

उत्तरांचल जल संस्थान

क्रमसं0	विकासखंड	योजना का नाम	अनु0लागत
1	वेतालघाट	बिनकोट	08.50
2	वेतालघाट	चन्द्राकोट सोनली	04.50
3	बेतालघाट	बेतालघाट चापड़	08.48
4	वेतालघाट	गरजोली सिल्टोना	06.00
5	वेतालघाट	चोर्सा पाडली	08.50
6	वेतालघाट	पांगकटना जोन	04.50
7	बेतालघाट	गरमपानी रातीघाट जो	04.50
8	बेतालघाट	जावातोक	04.50
9	वेतालघाट	हैटोली गोरखाल	08.50
10	बेतालघाट	रैखोली जोन।	09.50
11	धारी	धारी	03.50
12	धारी	दीना मल्ली	04.50
13	धारी	सुनकिया	06.00

14	धारी	धानाचूली	08.50
15	धारी	कफरोली मढौली	07.50
16	धारी	शशबनी पम्पिंग	09.50
17	धारी	अघरिया	02.50
18	धारी	सिलाखेत पम्पिंग	14.50
19	धारी	गजारी जोन ।।	05.50
20	धारी	कोकलबना	04.00
21	धारी	नीलपोखरी	04.50
22	धारी	सूपी जोन–।।।	08.50
23	धारी	मनाधेर (सुन्दरखोला	06.50
24	रामगढ़	छौडाधूना हरिजन बस्ती	11.70
25	रामगढ	श्यामखेत बूढी गधेरा	07.09
26	रामगढ़	धोडाखाल रातनौनी तोक	02.38
27	रामगढ़	कफूडा हरिजन बस्ती	06.86
28	रामगढ	चौपड़ा (मटकीना)	03.70
29	रामगढ	सिनाखांन तोक हरिजन बस्ती	06.86
30	रामगढत्र	छतौला पम्पिंग (सतौली एवं सोना पानी)	15.38
		योग:–	206.95

(कुँवर सिंह)
अपर सचिव

बी0 एम0-15 पुनर्विनियोग 2004-05 आयोजनागत

नियन्त्रक अधिकारी – प्रबन्ध निदेशक, उत्तरांचल पेयजल निगम/ मुख्य महाप्रबन्धक, उत्तरांचल जल संस्थान।
प्रशासनिक विभाग – पेयजल विभाग, उत्तरांचल शासन ।

(रू0 हजार मे)

प्राविधान तथा लेखाशीर्षक	मानक मदवार अध्यावधिक व्यय	वित्तीय वर्ष के अवशेष अवधि अनुमानित व्यय	अवशेष (सरप्लस)	लेखाशीर्षक जिसमे धनराशि स्थानान्तरित किया जाना है	पुनर्विनियोग के बाद स्तम्भ-5 की कुल धनराशि	पुनर्विनियोग के बाद स्तम्भ-1 में अवशेष धनराशि	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8
2215-जलपूर्ति तथा सफाई				2215-जल पूर्ति तथा सफाई			
01-जलपूर्ति- आयोजनागत				01 जलपूर्ति आयोजनागत			
102-ग्रामीण जलपूर्ति कार्यक्रम				102-ग्रामीण जलपूर्ति कार्यक्रम			क) केन्द्र सरकार से धनराशि प्राप्त न होने के कारण। (ख) अतिरिक्त प्लान आउटले प्राप्त हो एवं आवश्यकता होने के कारण।
01 केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना				03-ग्रामीण पेयजल राज्य सैक्टर			
05- सेक्टर रिफार्म पाइलेट प्रोजेक्ट (100 प्रतिशत केन्द्र पोषित)				00-20-सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता			
20-सहायक अनुदान/ अंशदान/ राजसहायता 150000	—	—	150000(क)	81,69 (ख)	68169	141831	
योग- 150000	—	—	150000	81,69	68169	141831	

प्रमाणित किया जाता है कि पुनर्विनियोग से बजट मैनुअल के परिच्छेद 150,151,155,156, में उल्लिखित सीमाओं का उल्लंघन नहीं होता है ।

(कुंवर सिंह)
अपर सचिव

उत्तरांचल शासन
वित्त अनुभाग-3
संख्या 1970 (क)/ वित्त अनु0-3/2004
देहरादून दिनांक 28 दिसम्बर, 2004

पुनर्विनियोग स्वीकृत

डी0सी0मिश्र
अपर सचिव वित्त

सेवा मे

महालेखाकार,
उत्तरांचल, देहरादून ।

संख्या 2708(1)/5-तीन/04-2(13ब)/2004
प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1 कोषाधिकारी, देहरादून। 2. वित्त अनुभाग-3, उत्तरांचल।
3 जिलाधिकारी, देहरादून/नैनीताल। 4. प्रबन्ध निदेशक,उत्तरांचल पेयजल निगम,देहरादून।
5 मुख्य महाप्रबन्धक, उत्तरांचल पेयजल निगम।

आज्ञा से,
(कुंवर सिंह)
अपर सचिव